

**राजस्व न्यायायाल ग्वालियर बोर्ड कैंप (उज्जैन) के समक्ष**

PBR/गिराना/उज्जैन/भू.रा/2018/2079

संजय पिता स्व. श्री गोविन्द

उम्र - 35 वर्ष, व्यवसाय - कृषि कार्य, /छ्वापर

हाल मुकाम - 121-बी, नगीन नगर, इन्दौर ...रिविजनकर्ता

विरुद्ध

1. केशुराम पिता स्व. रुग्गाजी

उम्र - वयस्क,

निवासी - धोबी मोहल्ला, उन्हेल

तह. नागदा जिला उज्जैन

2. नागेश्वर पिता केशुराम

उम्र - वयस्क, व्यवसाय - बर्तन की दुकान पर कार्य

निवासी - धोबी मोहल्ला, उन्हेल

तह. नागदा जिला उज्जैन

....प्रतिप्रार्थीगण

प्रथम रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

सदर रिविजन में रिविजनकर्ता तर्फे अर्ज है कि :-

1. रिविजनकर्ता ने यह रिविजन अपर आयुक्त महोदय संभाग उज्जैन

श्रीमान पी.आर. करतोलिया अपर आयुक्त साहब उज्जैन के यहां विचाराधीन

अपील नं.....संजय विरुद्ध केशुराम व अन्य में जिसकी पेशी दिनांक

23/04/2018 नियत है उक्त अपील में रिविजनकर्ता द्वारा पेश आवेदन

संलग्न

अविरत---2

288  
15/3/18

प्राप्त अभिलेखक श्री इमरान खान  
द्वारा प्रस्तुत  
दिनांक .....  
15/03/18  
अधीक्षक  
आयुक्त कार्यालय  
उज्जैन




//2//

अंतर्गत धारा 52 म.प्र. भू राजस्व संहिता (स्टे) का आवेदन दिनांक  
20/02/2018 को खारिज करते हुए रिविजनकर्ता को अपील में स्टे न  
दिए जाने का आलोच्य आदेश पारित किया है जिससे दुखी एवं व्याकुल  
होकर यह रिविजन विधिक तथ्य एवं आधारों सहित सादर पेश की जा रही  
है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी /उज्जैन /भूरा/18/2079

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-18	<p>आवेदक संजय द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दि. 20-2-2018 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के उपरांत स्थगन आवेदन निरस्त किया गया है, क्योंकि स्थगन देना अथवा नहीं देना प्रकरण की परिस्थिति एवं पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>